



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18022026-270240
CG-DL-E-18022026-270240

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 792]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 16, 2026/माघ 27, 1947

No. 792]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 16, 2026/MAGHA 27, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2026

का.आ. 830(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इस में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5225 तारीख 17/11/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले में नव प्रस्तावित रायपुर विशाखापट्टनम NH130CD इकनोमिक कॉरिडोर के. 239.650 से दक.मी. 366.500 (तहसीलदार, कम लैंड एक्वीजीशन ऑफिसर, बोरिगुम्मा) तक के राष्ट्रीय छह लेन का बनाने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना में उपाबद्ध अनुसूची में करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "11.12.2025" को "टाइम्स ऑफ़ इंडिया" और "प्रतिदिन" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जब कि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले में नवप्रस्तावित रायपुरविशाखापटनमएनएच130CD इकनोमिक कॉरिडोर के कि.मी. 239.650 से दक.मी. 366.500 (तहसीलदार, कम लैंड एक्वीजीशन ऑफिसर, बोरिगुम्मा)के लिए अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण।

राज्य का नाम: उड़ीसा			जिले का नाम: कोरापुट		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: बोरिगुमा					
गांव का नाम: हर्दोलि					
1	११५	निजी	धान-२	0.0486	राम गौड़ एंस्/ओ- पद्मनाभ गौड़
2	१९	निजी	धान-२	0.0202	सालू चलान शम चलान, एंस् ओ- सापुरा चलान नरसिंह चलान एंस् ओ- सनी चलान
गांव का नाम: बेणासुर					
3	223/1465	निजी	पैडी-१	0.0445	नरसिंह बागासिंह चौधुरी सो- लैक्समैन बागासिंह चौधुरी
4	२४२	निजी	डंगर-१	0.2329	सीमांचल त्रिपाठी एंस्ओ- राजिव लोचन त्रिपाठी जगदीश त्रिपाठी एंस्/ओ- राजिव लोचन त्रिपाठी सुदेष्णा त्रिपाठी एंस्/ओ- राजिव लोचन त्रिपाठी सत्यभामा त्रिपाठी जोचना कुमारी त्रिपाठी संजुक्ता कुमारी त्रिपाठी सुकांति कुमारी त्रिपाठी एंस्/ओ- राजिव लोचन त्रिपाठी
गांव का नाम: केरापुट					
5	२३९	सरकारी	गोचर	0.0283	सरकारी

6	३५४	सरकारी	बस्ती	0.0607	सरकारी
गांव का नाम: गुजुनीगुडा					
7	११८/२	सरकारी	बस्ती	0.1093	सरकारी
गांव का नाम: लाठीगुडा					
8	१४१	निजी	धान -२	0.0114	कुस पेंठिया लब पेंठिया ऐस्/ओ- केशब पेंठिया रुक पेंठिया डबल्यूओ- रघु पेंठिया दमुनी माझी ऐस्ओ- रघु पेंठिया कैता पेंठिया ऐस्ओ- रघु पेंठिया तुलसा पेंठिया डबल्यूओ-पदु पेंठिया कुम पेंठिया ऐस्ओ- पदु पेंठिया चंद्र पेंठिया रतन पेंठिया ऐस्ओ- कमललोचन पेंठिया हरी पेंठिया माधव पेंठिया ऐस्ओ- मदन पेंठिया बैदी पेंठिया ऐस्ओ- कमललोचन पेंठिया
9	१४२	निजी	धान-३	0.26	कुस पेंठिया लब पेंठिया ऐस्/ओ- केशब पेंठिया रुक पेंठिया डबल्यूओ- रघु पेंठिया दमुनी माझी ऐस्ओ- रघु पेंठिया कैता पेंठिया ऐस्ओ- रघु पेंठिया तुलसा पेंठिया डबल्यूओ-पदु पेंठिया कुम पेंठिया ऐस्ओ- पदु पेंठिया चंद्र पेंठिया रतन पेंठिया ऐस्ओ- कमललोचन पेंठिया हरी पेंठिया माधव पेंठिया ऐस्ओ- मदन पेंठिया बैदी पेंठिया ऐस्ओ- कमललोचन पेंठिया
10	३४/१९८	निजी	डंगर-१	0.1619	भगवान पेंठिया ऐस् ओ- हरी पेंठिया
11	४०	निजी	धान-३	0.1214	अर्जुन पेंठिया ऐस् ओ- दासरथी पेंठिया
12	४१	निजी	डंगर-१	0.0445	डमू पेंठिया मुक्ता पेंठिया ऐस्ओ- चंदर पेंठिया चंद्रिका पेंठिया ललिता पेंठिया ऐस्ओ-

					सुतम पेंठिया सहदेब पेंठिया जानकी पेंठिया ऐस्ओ- प्रह्लाद पेंठिया पूर्ण पेंठिया हरी पेंठिया ऐस्ओ- समारू पेंठिया
13	४९	निजी	डंगर-१	0.0098	चक्र गंडा ऐस्ओ- सदन गंडा
14	५१	निजी	धान-३	0.0654	चक्र गंडा ऐस्ओ- सदन गंडा
Total				1.2189	

[फा. सं. NHAI/11013/LA/PIU-Sambalpur, Odisha/Newly Proposed/Notif.(3a)/Koraput]/3D2]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2026

S.O. 830(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **5225 Dated:17/11/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (six-laning), maintenance, management and operation of Newly Proposed Raipur Visakhapatnam NH-130 CD Economic Corridor on the stretch of land from Km. 239.650 to Km. 366.500 (Tahasildar cum Land Acquisition Officer, Borigumma) in the district of KORAPUT in the state of ODISHA.

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Times of India” and “Pratidin” both dated 11.12.2025; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, falling within the Newly Proposed Raipur Visakhapatnam NH-130 CD Economic Corridor in the stretch of land from Km. 239.650 to Km. 366.500(Tahasildar cum Land Acquisition Officer, Borigumma) in the district of KORAPUT in the state of ODISHA.

State: ODISHA			District: KORAPUT		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Boriguma					
Village: Hardoli					
1	115	Private	Dhana-2	0.0486	Rama Gouda S/o- Padmanabha Gouda
2	19	Private	Dhana-2	0.0202	Salu Chalana Sama Chalana So- Sapura Chalana Narasingh Chalana So- Sani Chalana
Village: Benasur					
3	223/1465	Private	Paddy-1	0.0445	Narasingha Bagasingh Choudhury So- Laxman Bagasingh Choudhury
4	242	Private	Dangar-1	0.2329	Simanchal Tripathy So- Rajib lochan Tripathy Jagadish Tripathy So- Rajib lochan Tripathy Sudesna Tripathy So- Rajib lochan Tripathy Satyabhama Tripathy Joshna Kumari Tripathy Sanjukta Kumari Tripathy Sukanti Kumari Tripathy So- Rajib lochan Tripathy
Village: Keraput					
5	239	Government	Gochar	0.0283	Government
6	354	Government	Basti	0.0607	Government
Village: Gujunigura					
7	118/2	Government	Basti	0.1093	Government
Village: Lathigura					
8	141	Private	Dhana-2	0.0114	Kusa Penthia Laba Penthia So- Keshaba

					Penthiya Ruka Penthiya Wo- Raghu Penthiya Damuni Majhi So- Raghu Penthiya Kaita Penthiya So- Raghu Penthiya Tulasa Penthiya Wo-Padu Penthiya Kuma Penthiya So- Padu Penthiya Chandra Penthiya Ratan Penthiya So- Kamalalochan Penthiya Hari Penthiya Madhab Penthiya So- Madan Penthiya Baidi Penthiya So- Kamalalochan Penthiya
9	142	Private	Dhana-3	0.26	Kusa Penthiya Laba Penthiya So- Keshaba Penthiya Ruka Penthiya Wo- Raghu Penthiya Damuni Majhi So- Raghu Penthiya Kaita Penthiya So- Raghu Penthiya Tulasa Penthiya Wo-Padu Penthiya Kuma Penthiya So- Padu Penthiya Chandra Penthiya Ratan Penthiya So- Kamalalochan Penthiya Hari Penthiya Madhab Penthiya So- Madan Penthiya Baidi Penthiya So- Kamalalochan Penthiya
10	34/198	Private	Dangar-1	0.1619	Bhagaban Penthiya So- Hari Penthiya
11	40	Private	Dhana-3	0.1214	Arjun Penthiya So- Dasarathi Penthiya
12	41	Private	Dangar-1	0.0445	Damu Penthiya Mukta Penthiya So- Chandaru Penthiya Chandrika Penthiya Lalita Penthiya So-

					Sutam Penthia Sahadeb Penthia Janaki Penthia So- Pralad Penthia Purna Penthia Hari Penthia So- Samaru Penthia
13	49	Private	Dangar-1	0.0098	Chakra Ganda So- Sadan Ganda
14	51	Private	Dhana-3	0.0654	Chakra Ganda So- Sadan Ganda
Total				1.2189	

[F. No. NHAI/11013/LA/PIU-Sambalpur,Odisha/Newly Proposed/Notif.(3a)/Koraput]/3D2]

SHAIKH AMINKHAN, Director